न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–04 / 2018

उनवान –सरकार बनाम भूपेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री सुभाषचन्द जैन (भूपेन्द्र डेयरी मंनिया)
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –02.01.2019

आज यह पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री प्रेमचन्द जैन, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एंव स्वा0 सेवायें भरतपुर जोन भरतपुर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर ने अप्रार्थी श्री भूपेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री सुभाषचन्द जैन मालिक फर्म भूपेन्द्र डेयरी मांगरोल रोड मंनिया तहसील व जिला धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.01.2018 को दौराने गस्त चैकिंग करने के दौरान अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण करने पर लगभग 300 लीटर दूध टैंक में रखा हुआ मिला। मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर 2 लीटर दूध वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। अप्रार्थी ने उक्त मिश्रित दूध आम जनता के विक्रय हेतु बताया गया जिसका अप्रार्थी के पास कोई खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं था। उक्त 2 लीटर मिश्रित दूध नमूना एओ–319 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 09.02.2018 के अनुसार उक्त मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टेडर्ड मिश्रित दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड मिश्रित दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री भूपेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री सुभाषचन्द जैन मालिक फर्म भूपेन्द्र डेयरी मांगरोल रोड मंनिया तहसील व जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 2000/–रुपये (दो हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। आदेश सुनाया गया।

(राजेश वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner